"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी 2018 —— माघ 10, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ / 10 / 05 / 2018 / वाक / पांच(17). – छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपनियम 14 के खण्ड (घ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर से परामर्श उपरांत, एतद्द्वारा, माल के ऐसे संचलन के लिए, जिसका आरंभ और समापन छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र के भीतर हो, इस शर्त के अधीन कि संचलन किए जा रहे माल हेतु छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत विहित बीजक या डिलीवरी चालान संचलन के दौरान साथ रखें गए हों, ई–वे बिल की आवश्यकता नहीं होना अधिसूचित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना 01 फरवरी, 2018 से 31 मई, 2018 तक प्रभावशील रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्रमांक एफ / 10 / 05 / 2018 / वाक / पांच(17). – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ / 10 / 05 / 2018 / वाक / पांच (17), दिनांक 25–01–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., विशेष सचिव.